न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारीः–सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस.

दायर दिनांक 26.06.2024

मु.नं. 81/24

निर्णय दिनांक 22.05.2025

श्री माधवलाल पुत्र धनजी उम्र वयस्क जाति भील निवासी रोहनवाडा तहसील पालदेवल जिला जिला डूंगरपुर राज. **प्रार्थी**

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) पाल देवल जिला डूंगरपुर **विपक्षी**

अन्तर्गत रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थर गढी

उपस्थित :–

1. **श्री प्रेमपुरी गोस्वमी, अधिवक्ता –प्रार्थी की ओर से**
2. **पेरोकार सरकार –विपक्षी की ओर से**

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर प्रार्थना–पत्र रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत दिनांक 16.05.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम मेताली तहसील पालदेवल की जमाबंदी 2079 के खाता संख्या 291 पुराना 202 में आराजी नम्बर 753 रकबा 1.1300 हेक्टेयर किस्म बीड बतौर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर प्रार्थी स्थाई तारबन्दी कराना चाहता है किन्तु उक्त आराजियात भूमि की सही एवं वास्तविक सीमाओं की जानकारी नही होने से भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि की स्थाई एवं पुख्ता सीमाओं की जानकारी हेतु पत्थर गढी चाहता है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर का सरकार जरिये भूमिधारी तहसीदार पाल देवल को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जिस पर तहसीलदार पालदेवल द्वारा पटवारी हल्का से जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट पेश की जिसे पत्रावली में संलग्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और सरकार जरिये तहसीलदार पाल देवल के जवाब द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी प्रार्थीगण द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। उभय पक्षों को सूना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा वांछित भूमि की पत्थरगढी कराने निवेदन किया। ग्राम मेताली तहसील पालदेवल की जमाबंदी 2079 के खाता संख्या 291 पुराना 202 में आराजी नम्बर 753 रकबा 1.1300 हेक्टेयर है बतौर खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसकी पत्थरगढी कराने प्रार्थी हकदार है।

लिहाजा ग्राम मेताली तहसील पालदेवल की जमाबंदी 2079 के खाता संख्या 291 पुराना 202 में आराजी नम्बर 753 रकबा 1.1300 हेक्टेयर है पत्थरगढी किये जो के आदेश दिये जाते है। तहसीदार पालदेवल संबंधित भू.अ. निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के डिस्र्टब किये उक्त खसरों के सीमाओं की पत्थर गढी करावे। तहसीलदार पाल देवल को नियमानुसार पत्थरगढी करने बाबत् लिखा जावे। पत्रावली फेसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर